पत्र संख्या-वि02-51/99................../वि0,

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

संकल्प

विषयः- बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 31.3.12. तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) किये जाने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-2768 दिनांक 22.11.2011 द्वारा भविष्य निधि/ अंशदायी/ भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 01.4.2010 से ब्याज की दर 8% (आठ) प्रतिशत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह लागू की गई थी ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं0-5 बी0 (पी0डी0)/2011 दिनांक 19.3.12 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से 30.11.2011 की अवधि के लिए 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.11 से दिनांक 31.3.12 तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा संकल्प संख्या-एफ0संख्या-5 (1) (बी0पी0डी0)/ दिनांक 22.5.12 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।

3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 31.3.12 तक ब्याज-दर 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) लागू होगी ।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्/ बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/ सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- वि0 2-51/99 /वि0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के उप सचिव ।

कृ0पृ0उ0-2

ज्ञापांक- वि0 2-51/99 734 /वि0, पटना, दिनांक 12.06.2012.

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बेली रोड, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ सभी जिला भविष्य निधि पदा0/ सभी कोषागार/ उप कोषागार पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.6.12

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के उप सचिव ।